राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–अराजपत्रित / भर्ती प्रकोष्ठ / नर्स–2 / एफ–600 / 2021 / दिनांकः–

–:आदेश:–

नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती–2018 (गैर अनुसूचित क्षेत्र) के संदर्भ में श्रीमती प्रीती सोलंकी पुत्री सोमा राम द्वारा आईडी संख्या 3220526 के द्वारा अनुसूचित जनजाति महिला तलाकशुदा श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन किया गया था। जिसके क्रम में इन्हें दस्तावेजों के सत्यापन हेतु दिनांक 06.07.2019 को आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान स्वयं के विवाह विछिन्न संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिसके फलस्वरुप नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती–2018 की वरीयता सूची में इनका परिणाम "SUBJECT TO SUBMISSION OF ORIGINAL COURT ORDER OF DIVORCE" के अध्यधीन रखा गया था। जिसके क्रम में तलाक/विवाह विछिन्न के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश की मूल प्रति मय स्वंय प्रमाणित अतिरिक्त प्रति के साथ प्रस्तुत करने हेतु निदेशालय के पत्रांक 1450 दिनांक 15.10.2020 के द्वारा दिनांक 22.10.2020 को आमंत्रित किया गया था।

अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 22.10.2020 को विभाग में उपस्थित होकर अवगत कराया हैं कि उनका विवाह विछिन्न (Divorce) नहीं हुआ है एवं इनके केस की प्रक्रिया चलने के कारण Divorce Certificate जमा नहीं करा सकती हूँ।

नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती 2018 में ऑनलाईन आवेदन की तिथि दिनांक 04.06.2018 से दिनांक 03.07.2018 तक नियत थी। तलाकशुदा वर्ग के लाभ के लिये अभ्यर्थिया द्वारा दिये गये दस्तावेज मान्य नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि अभ्यर्थिया के पास तलाक की डिक्री दिनांक 03.07.2018 तक नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को नियमानुसार तलाकशुदा श्रेणी का लाभ देय नहीं है।

दिनांक 30.05.2018 को नर्स श्रेणी द्वितीय के पद हेतु जारी विज्ञप्ति के विन्दु संख्या 3(iv) में स्पष्ट उल्लेखित हैं कि परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न) को भी विवाह विच्छेद प्रमाण पत्र अर्थात सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री प्रस्तुत करनी होगी। डिक्री प्रस्तुत नहीं करने पर परित्यक्ता श्रेणी का लाभ नहीं दिया जावेगा।

उक्त से व्यथीत होकर अभ्यर्थिया द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 1631/2020 प्रीती सोलंकी बनाम सरकार व अन्य दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.2020 को आदेश पारित किया गया, जिसका मुख्यांश निम्नानुसार है:–

"1. Learned counsel submits that the issue involved in the present writ petition is covered by a judgment of this Court, wherein it has been clearly held that in case of customary divorce, a candidate is entitled to be considered as a divorcee.
2. Mr. K.S. Rajpurohit, learned AAG prays for and is granted four weeks' time to file reply.
3. In the present writ petition no reply has been filed since February, 2020.
4. List this case after four weeks.
5. Meanwhile, one post in petitioner's category i.e. Scheduled Tribes-divorcee shall be kept vacant in furtherance of the advertisement dated 30.05.2018 for Nurse Grade-II (Non-TSP)."

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 13409/2019 निरमा कुमारी धाकड बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 18.09.2019 को निर्णय पारित किया है कि आवेदन की दिनांक को याचिकाकर्ता तलाकशुदा श्रेणी में नहीं थी। इसलियें अब उनके आवेदन की श्रेणी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है एवं ऐसे ही समान प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर याचिका संख्या 2244/2020 हेमलता कुमारी बनाम सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 में अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम दिनांक को जो स्टेटस है उसे ही मान्य किया गया है। याचिकाकर्ता का प्रकरण भी निरमा कुमारी धाकड के समान ही है। जिन्हें तलाकशुदा श्रेणी का लाभ देय नहीं है।

याचिकाकर्ता के औसत प्राप्तांक 42.737 प्रतिशत है, जो कि नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती–2018 (गैर अनुसूचित क्षेत्र) की अंतिम चयन सूची दिनांक 05.10.2020 में अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग की कट–ऑफ 50.058 प्रतिशत से कम होने के कारण याचिकाकर्ता वरीयता सूची में स्वयं का स्थान बनानें में असफल रही हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान विवाह विछिन्न संबंधी दस्तावेजों में कांट–छांट कर प्रस्तुत किये गये हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायाधीश, महोदय पारिवारिक न्यायालय संख्या–1, जोधपुर के कार्यवाही शीट की दो प्रतियां प्रस्तुत की है जिसमें दिनांक 10.05.2017 (जो स्पष्ट नहीं है) में अंत में *"तथा विवाह विच्छेद किया जाता है"* अंकित है तथा समान दूसरी प्रति में यह अंकित नहीं है तथा फोटों प्रति को देखने से ऐसा लगता है *"तथा विवाह विच्छेद किया जाता है"* अलग से लिखा जाकर प्रति प्रस्तुत कर विभाग को गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुये गुमराह करने की कोशिश की गई है।

माननीय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय संख्या–1, जोधपुर को निदेशालय के पत्र क्रमांक अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/नर्स–2/एफ–600/2021/191 दिनांक 08.02.2021 के द्वारा उक्त दोनों कार्यवाही शीट की प्रतियां प्रेषित कर वास्तविकता की जानकारी चाही गई, जिस पर उन्होनें पत्र क्रमांक /2021/34 दिनांक 05.03.2021 द्वारा अवगत कराया है कि पारिवारिक न्यायालय संख्या–1, जोधपुर का दीवानी मूल वाद उनवान संजय एवं प्रीति अंतर्गत धारा 13 दी हिन्दु विवाह अधिनियम, की मूल पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 08.04.2017 को तारीख पेशी थी, उसके बाद आदेश व दर्ज बावत् पत्रावली दिनांक 10.05.2017 को नियत की गई। दिनांक 10.05.2017 की आदेशिका की फोटोकॉपी का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उस दिन प्रार्थी संख्या–एक संजय अनुपस्थित था एवं प्रार्थी संख्या–दो उपस्थित थी तथा पत्रावली दिनांक 01.06.2017 को उचित आदेश हेतु नियत की गई थी, जिसके अंत में **"तथा विवाह विच्छेद किया जाता है"**, ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, यदि यह न्यायालय द्वारा जोडा गया होता तो दिनांक 10.05.2017 के बाद दिनांक 01.06.2017 की पेशी नहीं दी जाती। इस संबंध में आगे लेख है कि प्रकरण धारा 13 दी हिन्दु विवाह अधिनियम के अन्तर्गत पश किया गया है, जबकि प्रकरण

दोनों भील जाति के होने से वे अनुसूचित जनजाति के है, इन पर हिन्दु विवाह अधिनियम लागू नहीं होने से तथा दावा पोषणीय नहीं होने से दिनांक 01.06.2017 को न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था। दिनांक 10.05.2017 को प्रार्थी अनुपस्थित था ऐसे स्थिति में प्रार्थी की अनुपस्थिति में विवाह विच्छेद किया जाना संभव नहीं था। दिनांक 10.05.2017 की आदेशिका, जो उनके समक्ष पेश की गई है उसमें "तथा विवाह विच्छेद किया जाता है" बाद में जोडा गया है, वह उसी हस्तलिपी में नहीं है, जो कि आदेशिका की हस्तलिपी है।

अतः श्रीमती प्रीती सोलंकी द्वारा नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती–2018 (गैर अनुसूचित क्षेत्र) के संदर्भ में कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा जानबूझकर भ्रामक सूचना देने पर अभ्यर्थिया द्वारा नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती–2018 (गैर अनुसूचित क्षेत्र) के अन्तर्गत किये गये ऑनलाईन आवेदन (आई.डी. संख्या 3220526) को विज्ञप्ति क्रमांक 231 दिनांक 30.05.2018 में उल्लेखित शर्तानुसार एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर
दिनांकः– 19/04/2021

क्रमांकः–अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/नर्स–2/एफ–600/2021/482

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. माननीय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय संख्या–1, जोधपुर को उनके पत्रांक /2021/34 दिनांक 05.03.2021 के क्रम में।
6. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक (जन स्वा./परिवार कल्याण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
8. श्री करण सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
9. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्रीमती प्रीती सोलंकी (अभ्यर्थिया नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती–2018) द्वारा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने के प्रथम दृष्टया अपराध किया जाना प्रतीत होने के फलस्वरूप अभ्यर्थिया के विरूद्व संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराकर तत्काल अवगत करावें। (संलग्नः– संबंधित दस्तावेज)
11. श्री वीरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जोधपुर, मों– 9414247418 केस प्रभारी अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण में अविलम्ब जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रकरण को खारिज कराने की कार्यवाही करावें।
12. प्रशासनिक अधिकारी (नर्सिंग), मुख्यालय।
13. कम्प्यूटर डेस्क (भर्ती प्रकोष्ठ), मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती– 2018 (अनुसूचित क्षेत्र) के डेटा में नियमानुसार आवश्यक संशोधन किया जावे।
14. श्रीमती प्रीती सोलंकी पुत्री श्री सोमा राम, निवासी 2–1542–ए कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, पिन–342005, मों– 7340643297
15. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
16. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर